हरियाणा ने अग्निवीर कोटा बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा सरकार** ने कांस्टेबल और वन रक्षक सहित अन्य पदों की भर्ती में **अग्निवीरों** के लिये **10% क्षैतिज आरक्षण** की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- अग्निवीरों को **सिविल पदों के लिये ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5%** और **ग्रुप-बी की सीधी भर्ती में 1% क्षैतिज आरक्षण** मिलेगा।
- जो निजी प्रतिष्ठान अग्निवीरों को 30,000 अथवा उससे अधिक मासिक वेतन देते हैं, उन्हें **राज्य सरकार से 60,000 की वार्षिक सब्सिडी मिलेगी।**
- व्यवसाय शुरू करने वाले अग्निवीर को **5 लाख तक के ऋण पर ब्याज लाभ मिलेगा।**
- **अग्निवीरों को शस्त्र लाइसेंस और सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों** में रोज़गार के लिये **प्राथमिकता** दी जाएगी।

अग्निपथ योजना

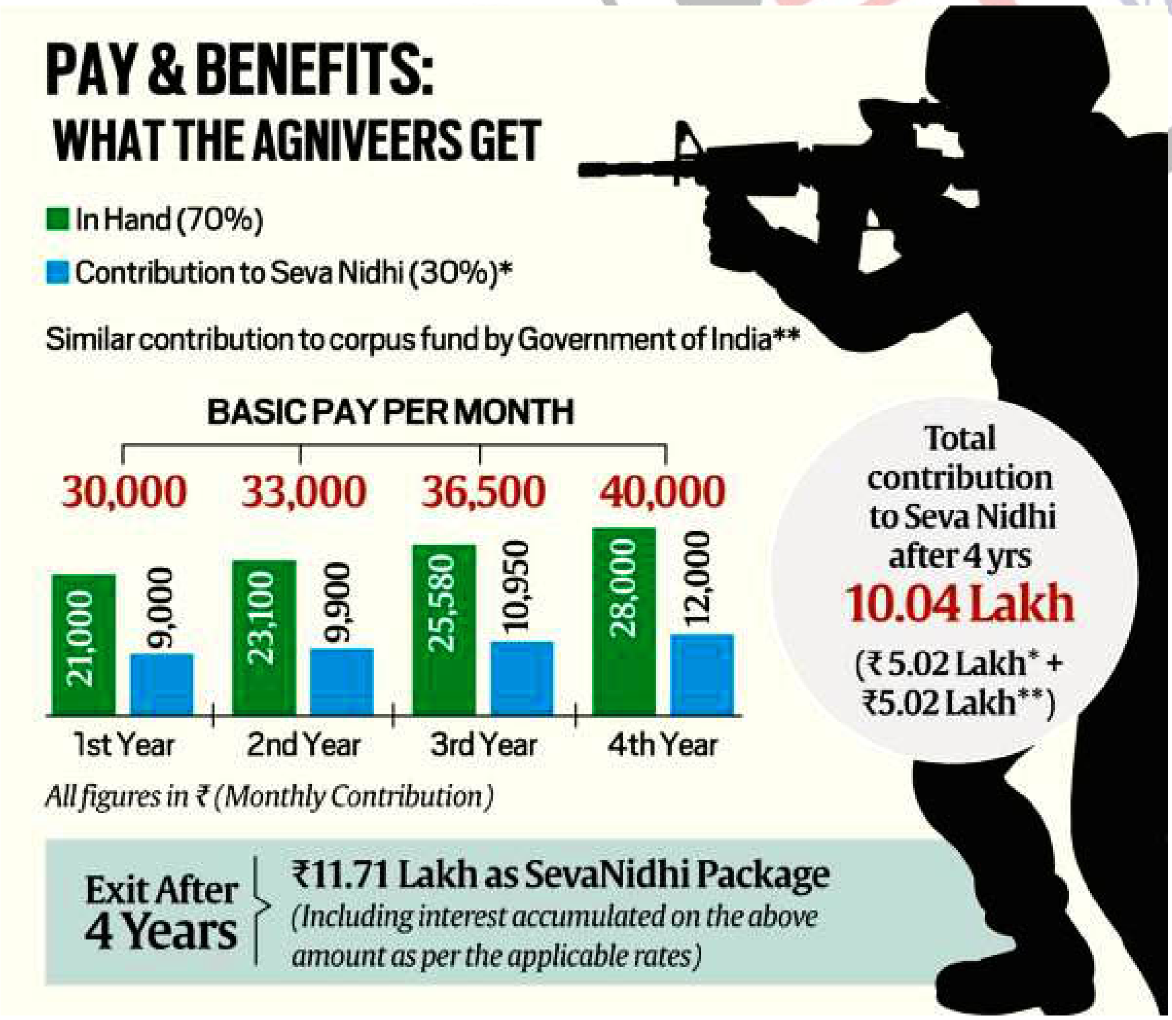

- **परिचय:**
  - यह **देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर** प्रदान करता है।
  - इस योजना के तहत **सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा।** युवा कम अवधि के लिये सेना में भर्ती हो सकेंगे।
  - नई योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी तथा इनमें से अधिकांश चार वर्षों में ही सेवा छोड़ देंगे।
  - हालाँकि **चार वर्षों के बाद बैच के केवल 25% लोगों को ही** 15 वर्षों की अवधि के लिये उनकी **संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती** किया जाएगा।
- **पात्रता मापदंड:**
  - यह केवल **अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिये है** (जो कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं)।
    - कमीशन प्राप्त अधिकारी **सेना के सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारी होते हैं।**
    - भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों को **एक विशेष रैंक प्राप्त है।** वे प्रायः **राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन प्राप्त करते हैं** और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।
  - 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-increases-agniveer-quota